

जा- 34 रा 10 म 2006
नघ में

१३



आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, चौमहों
मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : छाता
वाद संख्या :- RST/7580/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202501500307580
गोविन्द अग्रवाल बनाम अशोक कुमार सिंह
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश रीजस्व संहिता - 2006


निर्णय

प्रस्तुत वाद बैनामा दिनांक 30.03.2025 के आधार पर दिनांक 26.05.2025 को संस्थित किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किये, जो वाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है, नियत अवधि पर कोई आपत्ति नहीं आयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य अभाव में वाद पत्रावली दिनांक 11.07.2025 को निरस्त की गई। जिसमें दिनांक को बाजिव नम्बर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा श्री जगन्नाथ प्रसाद गणेशीलाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट समिति लेटर सोसायटी पंजीकृत संख्या 1157/2003 पत्रावली पर संचित है। पत्रावली में संचित क्रेता के शपथ पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है, विक्रीत भूमि ग्राम सभा पट्टे सीलिंग आदि की नहीं है, विक्रीत भूमि संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, क्रेता के पास सम्पूर्ण उ0प्र0 में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, विक्रीत भूमि बन्धक नहीं है। धारा 34 की प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है। यदि शपथ पत्र अथवा उपनिबन्धक छाता के यहाँ पंजीकृत कराये गये बैनामा में जाति अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाता है। तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा वादकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यावाही अमल में लायी जायेगी। वाद निर्विवाद है। नामान्तरण स्वीकार किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है। अतः आदेश हुआ कि-

आदेश

ग्राम अकबरपुर के खाता संख्या 364 गाटा संख्या 166 रकवा 0.741 है0 के बकदर भाग रकवा 0.471 है0 में से रकवा 0.247 है0 से विक्रेता श्री जगन्नाथ प्रसाद गणेशीलाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट समिति 200/1 रमणरेती वृन्दावन द्वारा सदस्य विवेक अग्रवाल पुत्र नारायणदास अग्रवाल 200/1 रमणरेती वृन्दावन मथुरा का नाम खारिज करके क्रेता के के गुप पता 1 गुरु कृपा विलास सराय आजमाबाद नियर कुसुम वाटिका मथुरा 281001 द्वारा पार्टनर गोविन्द अग्रवाल पुत्र कृष्णा कुमार अग्रवाल निवासी 01 सराय आजमाबाद नियर कुसुम वाटिका गुरु कृपा विलास मथुरा बांगर का नाम बैनामा दिनांक 30.03.2025 के आधार पर बतौर सं. भू. दर्ज हो। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक


तहसीलदार छाता
मथुरा

पृष्ठ संख्या :


निर्णय

प्रस्तुत वाद बैनामा दिनांक 30.03.2025 के आधार पर दिनांक 26.05.2025 को संस्थित किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किये, जो बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है, नियत अवधि पर कोई आपत्ति नहीं आयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य अभाव में वाद पत्रावली दिनांक 11.07.2025 को निरस्त की गई। जिसमें दिनांक को बाजिव नम्बर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा श्री जगन्नाथ प्रसाद गणेशीलाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट समिति लेटर सोसायटी पंजीकृत संख्या 1157/2003 पत्रावली पर संचित है। पत्रावली में संचित क्रेता के शपथ पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है, विक्रीत भूमि ग्राम सभा पट्टे सीलिंग आदि की नहीं है, विक्रीत भूमि संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, क्रेता के पास सम्पूर्ण 30प्र0 में 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है, विक्रीत भूमि बन्धक नहीं है। धारा 34 की प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है। यदि शपथ पत्र अथवा उपनिबन्धक छाता के यहाँ पंजीकृत कराये गये बैनामा में जाति अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाता है। तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा वादकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यावाही अमल में लायी जायेगी। वाद निर्विवाद है। नामान्तरण स्वीकार किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है। अतः आदेश हुआ कि-

आदेश

ग्राम अकबरपुर के खाता संख्या 364 गाटा संख्या 166 रकवा 0.741 है० के बकदर भाग रकवा 0.471 है० मे से रकवा 0.247 है० से विक्रेता श्री जगन्नाथ प्रसाद गणेशीलाल बजाज चैरिटेबिल ट्रस्ट समिति 200/1 रमनरेती वृन्दावन द्वारा सदस्य विवेक अग्रवाल पुत्र नारायनदास अग्रवाल 200/1 रमनरेती वृन्दावन मथुरा का नाम खारिज करके क्रेता के के गुप पता 1 गुरु कृपा विलास सराय आजमाबाद नियर कुसुम वाटिका मथुरा 281001 द्वारा पार्टनर गोविन्द अग्रवाल पुत्र कृष्णा कुमार अग्रवाल निवासी 01 सराय आजमाबाद नियर कुसुम वाटिका गुरु कृपा विलास मथुरा बांगर का नाम बैनामा दिनांक 30.03.2025 के आधार पर बतौर सं. भू. दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दपतर की जाय।

दिनांक


तहसीलदार छाता
मथुरा